

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 10 (1)/न.वि.वि./3/2004

जयपुर, दिनांक:26.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को नवलगढ (जिला झुन्झुनू) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1.	नवलगढ	नवलगढ	झुन्झुनू
2.	ढाणी कानाकावाली	नवलगढ	झुन्झुनू
3.	ढाका की ढाणी	नवलगढ	झुन्झुनू
4.	दुर्जनपुरा	नवलगढ	झुन्झुनू
5.	जोहड की ढाणी	नवलगढ	झुन्झुनू
6.	मोहब्बतसर	नवलगढ	झुन्झुनू
7.	नवलडी	नवलगढ	झुन्झुनू
8.	सैनीनगर	नवलगढ	झुन्झुनू
9.	बिरोल	नवलगढ	झुन्झुनू
10.	झाडेवा	लक्ष्मणगढ	सीकर
11.	बीडोदी छोटी	लक्ष्मणगढ	सीकर
12.	जोगियों का बास	लक्ष्मणगढ	सीकर
13.	बीडोदी बड़ी	लक्ष्मणगढ	सीकर
14.	कल्याणपुरा	लक्ष्मणगढ	सीकर

राज्यपाल के आदेश से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक मे करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर ।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, झुन्झुनू/सीकर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नवलगढ।
8. रक्षित पत्रावली ।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक